

sub-section (1) of section 22 of the said Act, read with clause (iii) of the Explanation to the said section” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of February, 2019.

[F. No. 20/06/16/2018-GST (Pt.II)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No. 65/2017-Central Tax, dated the 15th November, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 1421 (E), dated the 15th November, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2019

सं. 1/2018-एकीकृत कर

सा.का.नि. 67(अ).—केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवाकर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 32) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 फरवरी, 2019 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको एकीकृत माल और सेवाकर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 32) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी (भाग-II)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2019

No. 01/2019-Integrated Tax

G.S.R. 67(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Integrated Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018 (32 of 2018), the Central Government hereby appoints the 1st day of February, 2019 as the date on which the provisions of the Integrated Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018 (32 of 2018) shall come into force.

[F. No. 20/06/16/2018-GST (Pt. II)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2019

सं. 2/2019-एकीकृत कर

सा.का.नि. 68(अ).—केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 23 की उपधारा (2) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 7/2017-एकीकृत कर, तारीख 14 सितम्बर, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 1155(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के परंतुक के खंड (ख) में, “151” अंकों के स्थान पर, “5” अंक रखा जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2019 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी (भाग-II)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 07/2017-एकीकृत कर, तारीख 14 सितम्बर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. सं. 1155(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।